राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 182 सितम्बर 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल के निदेश में, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जोर देकर कहा है कि वे अपने पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करें जिससे यौन हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों से प्रभावी रूप से निबटा जा सके। तथापि, पुलिस बल में महिलाओं को रोजगार देना अभी भी संदेह और नापसंदगी से देखा जाता है। अनेक वरिष्ठ महानिदेशकों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगी क्योंकि वे इस कार्य की कठोर आवश्यकता के उपयुक्त नहीं हैं।

परन्तु सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन होने, महिलाओं के अपराधी अथवा पीड़ित के रूप में अपराध में शामिल होने की संख्या में वृद्धि, बाल अपराध और घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारण पुलिस में बड़ी संख्या में नियुक्ति की आवश्यकता हो गई है यद्यपि उनकी संख्या अभी बहुत कम है।

भारत में पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिशत केवल 5.3% है जबकि दक्षिण अफ्रीका में बल में 29% महिला पुलिस अधिकारी हैं, अमरीका में 14% हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 13% हैं और कनाडा में 18% हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शोध ने इस धारणा को गलत बताया है कि महिलाएं पुलिस के काम के लिए अनुपयुक्त होती हैं। इसके विपरीत, यह साबित हुआ है कि महिला अधिकारी शारीरिक बल प्रयोग का कम प्रयोग करती हैं, जनता के साथ हिंसक टकराव न होने देने में बेहतर हैं और अत्यधिक बल प्रयोग का कम प्रयोग करती हैं। उनके पास बेहतर संवाद कौशल है और वे जनता से सहयोग और विश्वास प्राप्त करने में समर्थ होती हैं।

चर्चा में — पुलिस बल में महिलाएं

यद्यपि पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है परन्तु यदि संगठन में वातावरण अनुकूल और महिला हितैषी है, जो अक्सर नहीं होता है, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। इस समय, महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जाता है और उन्हें मामूली कार्य आवंटित किया जाता है। बजाए इसके कि उनकी भूमिका केवल आसान डेस्क जॉब और दहेज मौतों, बलात्कार और उत्पीड़न के मामलों की जांच करने तक सीमित की जाए, महिला पुलिस अधिकारियों को अन्य महत्वपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए। यह पाया गया है कि जिलों, सब डिवीजनों और ज़ोनों के प्रभारी महिला अधिकारियों ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति कार्य में सहायता देने के लिए लाइबेरिया में भारत की जो महिला टीम भेजी गई है वह एक सही कदम है। उससे अनेक देशों को यह संदेश जाता है कि महिला पुलिस अधिकारी कितनी जरूरी है।

यह सच है कि महिला पुलिस को अपने पुरुष सहकर्मियों से अक्सर प्रशंसा नहीं मिलती है जो कठिन कार्य के लिए महिलाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें न केवल जुबानी अपितु शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न के प्रति आम प्रतिक्रिया यौन उत्पीड़न की उपेक्षा करना है अथवा ऐसी स्थिति से बचना है जिसमें ऐसा उत्पीड़न होता है। अक्सर पीड़ित महिलाएं औपचारिक शिकायतें करने की अनिच्छुक रहती है क्योंकि वे परेशान करने वालों की तुलना में कम महत्वपूर्ण पदों पर होती हैं और उसे बदला लेने का भय बना रहता है। आश्चर्य की बात है कि महिला पुलिस अधिकारी भी अपने उन सहकर्मियों का बहिष्कार करती हैं जो उत्पीड़न की शिकायत करती हैं।

तथापि, इन सभी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, यदि महिला अधिकारी अपने पेशे की उत्कृष्टता को प्राप्त करती है जिससे महिला रूढ़िबद्धता स्वतः बदल जाएगी और वे पुलिस में निर्णय लेने, कैरियर की योजना बनाने और प्रबंध करने के मामले में महत्वपूर्ण किरदार बन जाएंगीं।

श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, राष्ट्रीय महिला आयोग की नइ अध्यक्षा

श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, ने 29 सितम्बर, 2014 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का कार्यभार संभाला है।

श्रीमती कुमारमंगलम, जो एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, जिसमें राज्यपाल, केबिनेट मंत्री, सेना के जनरल और संसद सदस्य हुए हैं, से संबंध रखती हैं, अपनी तरह की एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता हैं जो समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्नयन के लिए दशाब्दियों से अनथक कार्य कर रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया है और ट्रक चालकों, वेश्याओं, एल.जी.बी.टी. समुदायों, प्रवासी और निर्माण कामगारों, स्वयं सहायता समूहों और शहरी स्लम महिलाओं जैसे अधिकारविहीन समुदाय के साथ कार्य किया है। एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकत्री के रूप में उनके विभिन्न अनुभवों से महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

श्रीमती कुमारमंगलम ने भारत और विदेशों की विस्तृत यात्रा की है। उनके पास मद्रास यूनिवर्सिटी की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री है और वह सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक हैं। वह एक बहुविध भाषाविद हैं और हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और बंगाली में धारा प्रवाह बोल सकती हैं।

हम आयोग में श्रीमती ललिता कुमारमंगलम का स्वागत करते हैं। करते हैं और उनके एक बहुत सफल कार्यकाल की कामना

महिलाओं और बालिकाओं की तस्करी पर सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने असम राज्य महिला आयोग और यूनीसेफ के साथ सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं और बच्चों की तस्करी की समस्या के समाधान के लिए एक दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सेमीनार में क्षेत्र में तस्करी की वर्तमान स्थिति, इसकी रोकथाम, पीड़ितों को बचाने और उनका पुनर्वास करने में लगी एजेंसियों को होने वाली चुनौतियों की पहचान और अपराध की रोकथाम में समन्वय में सुधार करने वाली एजेंसियों का नेटवर्क बनाने के बारे में चर्चा हुई।

इस अवसर पर बोलती हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने कहा कि "गैर-वेश्यालय वेश्यावृत्ति" एक गंभीर चिंता का विषय बन रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रहने वाली महिलाएं सीमा पार वेश्यावृत्ति गिरोह की बहुत अधिक शिकार बन जाती हैं। नागा मदर्स एसोसिएशन, मणिपुर की मीरा पाईबाईस, यंत्र मिजो एसोसिएशन आदि जैसे संगठनों को निचले स्तर पर ही मानव तस्करी की रोकथाम करने के लिए तैयार करना चाहिए।

सदस्या साइलो सम्मेलन को संबोधित करती हुई। (नीचे) सुश्री मीरा बरुआ, अध्यक्षा, असम महिला आयोग, श्री जितेश खोसला, मुख्य सचिव, असम, श्री एकन बोरा, समाज कल्याण और जेल मंत्री और सुश्री साइलो "महिलाओं के विरुद्ध अपराध और विधि उपबंध" पुस्तक का विमोचन करते हुए।

उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक कारण, प्राकृतिक विपदाएं, अंगों का व्यापार आदि भी महिलाओं की तस्करी के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने एन.एच.आर.सी., एम.एच.ए., डब्ल्यू.सी.डी., यू.एन.आई.सी.ई.एफ. और यू.एन.आई.एफ.ई.एम. के साथ सहयोग से एक कार्य योजना तैयार करके तस्करी की समस्या का समाधान करने के लिए पहल की है।

दूसरे दिन, चर्चा आठ पूर्वोत्तर राज्यों की "समानता और विशेषताएं" पर और मानव तस्करी की चुनौतियों का समाधान ढूंढ़ने पर केन्द्रित रही।

बाद में, सदस्या साइलो ने असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन (पूर्वोत्तर) और आयुक्त और सचिव सामाजिक कल्याण, असम सरकार के साथ बातचीत की।

वन स्टॉप क्राइसेस सेंटर (ओ.एस.सी.सी.)

यौन दुराचार के पीड़ित अब एक ही स्थान पर चिकित्सा और कानूनी सहायता ले सकते हैं। पहला वन-स्टॉप-क्राइसेस-सेंटर (ओएससीसी) मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य चिकित्सा सुविधाएं, प्राथमिकी दर्ज करने और मनोवैज्ञानिक समर्थन देने के रूप में बलात्कार के पीड़ितों की तुरन्त सहायता करना है। ओएससीसी वाले अन्य अस्पताल हैं - हरी नगर में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गुरू तेग बहादुर अस्पताल।

संयोग से भारत का पहला वन स्टॉप क्राइसेस सेंटर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 16 जून, 2014 को आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़खानी, बलात्कार आदि की पीड़ित महिलाओं को तुरन्त सहायता प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि पुलिस को दहेज उत्पीड़न के मामलों को दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट से अधिकार मांगने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व कारणों को दर्ज करेगी जैसे उसके/उसकी कानून की पकड़ से भाग जाने अथवा अपराध को दोबारा करने की संभावना और वह मैजिस्ट्रेट से अधिकार मांगेगी जो इस प्रयोजन के लिए अपनी संतुष्टता को भी दर्ज करेगा। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाने से ही रूटीन तरीके से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यह निर्णय उन अपराधों से संबंधित सभी मामलों में लागू होगा जहां 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उन संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिनके यहां कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति नहीं हैं।
- मुम्बई में एक परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पत्नी को कुर्ता और जीन्स पहनने से मना करना और उसे साड़ी पहनने के लिए मजबूर करना पति द्वारा निर्दयता का बर्ताव करना माना जाएगा और यह तलाक लेने का आधार बन सकता है।

महिलाओं का सामाजिक समावेश पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के साथ सहयोग से नई दिल्ली में "शांति और सौहार्द को बढ़ावा : अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का सामाजिक निषेध - चुनौतियां और समाधान" पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

यह सेमिनार विभिन्न समुदायों विशेषकर अल्पसंख्यक महिलाओं की उनकी सामाजिक निषेध और वंचन के संदर्भ में स्थिति को जानने के लिए आयोजित किया गया था।

अपने स्वागत भाषण में राजदूत अशोक साजनहार, सचिव, साम्प्रदायिक सौहार्द का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का सामाजिक समावेश केवल तभी संभव होगा जब हम समाज की सोच को बदलेंगे और महिलाओं के लिए कानूनों को क्रियान्वित करेंगे।

श्री डी.आर. कार्तिकेयन, अध्यक्ष, शांति और सौहार्द के लिए प्रतिष्ठान ने महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा देने की मांग की क्योंकि अधिकांश मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, कानून, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित होती हैं जिससे उनका सामाजिक निषेध होता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के साथ निर्धनता, कम साक्षरता और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने के कारण सामाजिक निषेध और

शांति ओर सौहार्द को बढ़ावा पर सेमिनार में सदस्या शमीना शफीक, सदस्या साइलो, श्री कार्तिकेयन, सदस्या खेरिया और श्री अशोक साजनहार

भेदभाव अधिक होता है। सुश्री मोहिनी गिरी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा ने सेमिनार में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया ने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के सत्र की अध्यक्षता की और सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकने और समावेशी समाज में उनकी स्थिति में सुधार करने के सरकार और समाज के पहलों पर चर्चा की अध्यक्षता की।

अपराध के पीड़ितों के लिए मुआवजा

दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, 21 अगस्त, 2014 से बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को उन्हें दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकार (डी.एस.एल.एस.ए.) द्वारा प्रदत्त मुआवजा 24 घंटों के अंदर मिलेगा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इसके लिए तरीका और निधि की व्यवस्था की जाए।

दो-न्यायाधीश वाली एक बेंच ने दिल्ली सरकार को पीड़ित मुआवजा निधि की व्यवस्था न करने के लिए फटकार लगाई है। यद्यपि 2011 में अधिसूचित दिल्ली पीड़ित मुआवजा स्कीम के अंतर्गत इसके लिए व्यवस्था की गई थी। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार के स्थायी परामर्शदाता ने बेंच को सूचित किया कि सरकार आवधिक रूप से निधि को डी.एस.एल.एस.ए. में अंतरित करती रहेगी जिसे पीड़ित मुआवजा निधि के लेखे में रखा जाएगा। इसके बाद डी.एस.एल.एस.ए. मुआवजे की राशि को इलेक्ट्रॉनिकली डी.एस.एल.एस.ए. से अवार्ड मिलने के बाद 24 घंटों के अंदर पीड़ित को अंतरित कर देगा।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने मुम्बई जिला विधि सहायता प्राधिकार सेवा और एस.एन.डी.टी. वुमैन यूनिवर्सिटी के विधि विद्यार्थियों द्वारा आयोजित पैरा-लीगल ट्रेनिंग वर्कशाप का उद्घाटन किया। विधि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सदस्या ने पैरा-लीगल वालंटियर्स के महत्व और घरेलू हिंसा और पारिवारिक कानूनों के मामलों में सलाह देने और मध्यस्थता करने में उनकी भूमिका को दोहराया। ● सदस्या ने राष्ट्रीय महिला आयोग से मुम्बई महिला आयोग को अंतरित दो मामलों, जिसका कारण शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों का मुम्बई का होना बताया गया है, की सुनवाई की। सुनवाई नोट तैयार किया गया था और सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। चूंकि शिकायतकर्ता की पुत्री इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकी थी इसलिए मामले को लंबित रखा गया और पुलिस से लड़की को राष्ट्रीय महिला आयोग की समिति

श्रीमती प्रभावलकर पैरा-लीगल वर्कशाप में भाषण करती हुई

के समक्ष लाने का अनुरोध किया गया। दूसरा मामला डॉ. विजय शर्मा द्वारा की गई कथित छेड़खानी, पीछा करना और पेशेवर चिकित्सा दुराचरण के संबंध में है जो उनके द्वारा अपने क्लीनिक में ब्रेस्ट इमप्लांट के दौरान किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि सर्जरी ठीक तरीके से नहीं की गई थी और यदि घटिया सामग्री को नहीं बदला जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का डर है। हस्तक्षेप के बाद डॉ. शर्मा ने इसकी जिम्मेवारी स्वीकार की और कहा कि वे सर्जरी करने वाले अस्पताल को इमप्लांट के मूल्य का भुगतान करेंगे। ● सदस्या शौचालय और शुद्ध पेयजल जैसे नागरिक सुविधाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निर्वाचित नगरपालिका पार्षदों की भूमिका पर होने वाले सम्मेलन में उपस्थित हुई। ● श्रीमती प्रभावलकर दमन के उप-जेल गई जहां आजीवन कारावास की सजा पाए केवल एक महिला पिछले 10 वर्षों से एकांत कारावास में रखी हुई थी। सदस्या ने तुरन्त महानिरीक्षक जेल, कलेक्टर और जेल अधीक्षक से सम्पर्क किया और सुझाव दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार दी जाने वाले सभी सुविधाएं उसको दी जानी चाहिए और उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। विकल्प के तौर पर यदि महिला चाहती है तो उसे अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां अन्य महिला कैदियों को रखा गया है।

सदस्या शमीना शफीक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सेन्ट्रल जेल, अमृतसर में

❖ सदस्या शमीना शफीक ने राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस रूम में "महिला-पुरुष असमानता को कम करने के लिए सूचना संप्रेक्षण प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग किया जा सकता है" पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। ● सदस्या अमृतसर जिला जेल गई और इसकी रिपोर्ट विधिवत रूप से माननीया अध्यक्षा को प्रस्तुत की गई। ● श्रीमती शफीक ब्रह्मकुमारियों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विश्वास और शांति पर कार्यक्रम में उपस्थित हुई जिसमें अन्य के साथ उप-कुलपति, विदेशी गणमान्य व्यक्ति, राजदूत भी उपस्थित थे। ● सदस्या जंतर मंतर में बंधुआ मुक्ति मोर्चा में उपस्थित हुई और वह जम्मू से छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों से मिली। ● वह हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय मानव अधिकार मोर्चा द्वारा आयोजित विधि जागरूकता कार्यक्रम में भी गई। ● बाद में, वह अचानक यमुनानगर जेल गई और वहां पर महिला कैदियों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हुई। ● श्रीमती शफीक जामिया मिलिया इस्लामिया में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (सिख और जैन की उप समिति) की बैठक में उपस्थित हुई जहां अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। ● सदस्या, सी.एस. आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कानपुर में महिलाओं की "प्रौद्योगिकी शक्ति" पर आयोजित सेमिनार में सम्माननीय अतिथि थी। ● सदस्या शफीक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सरोगेसी पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। ● सदस्या नई दिल्ली में महिला स्वास्थ्य नीति पर आयोजित पैनल चर्चा में उपस्थित हुई और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया।

❖ सदस्या हेमलता खेरिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर में मध्य प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग से आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वार्ता आरम्भ करने और सुविधायुक्त बनाने के तीन पीढ़ियों के बीच एक परस्पर कार्यक्रम में उपस्थित हुई। कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु समाज में हिंसा रहित महिलाएं था। ● सदस्या खेरिया राष्ट्रीय महिला संस्थान द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से राज्य स्तर पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। सेमिनार में मुख्य विषय सामाजिक भेदभाव और दलित महिलाओं पर जाति आधारित अत्याचार था। ● सदस्या कायस्थ चेतना मंच द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित "विशाल महिला सम्मेलन" कार्यक्रम में मुख्य अतिथी थी। जिन विषयों पर चर्चा हुई वे थे समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि, महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और कानूनी जागरूकता।

सदस्या खेरिया मध्य प्रदेश पुलिस परस्पर कार्यक्रम में

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।